



कार्यालय, दि झारखण्ड स्टेट आदिवासी को-ऑपरेटिव वेजिटेबल  
मार्केटिंग फेडरेशन लि० (वेजफेड), राँची।  
चतुर्थ तल, पशुपालन भवन, सिंह मोड़, हेसाग, हटिया, राँची 834003

GSTIN. : -20AAAJT2257J1Z8

E-mail : - vegfed.ranchi@gmail.com

पत्रांक 465/वेजफेड, राँची

दिनांक 05.10.2023

**इच्छा की अभिव्यक्ति का आमंत्रण**

विभागीय योजना 2022-23 अन्तर्गत वेजफेड के द्वारा राज्य के विभिन्न स्थलों पर 05 इकाई ड्राई मसाला प्रसंस्करण इकाई का अधिष्ठापन किया जाना है।

उक्त इकाई के अधिष्ठापन व संचालन हेतु वेजफेड से सम्बद्ध 01 सहकारी समिति का चयन किया जा चुका है। शेष इकाईयों के अधिष्ठापन व संचालन हेतु वेजफेड से सम्बद्ध इच्छुक सहकारी समितियों से इच्छा की अभिव्यक्ति का आमंत्रण किया जाता है। इच्छुक एवं योग्य समितियाँ वेजफेड कार्यालय से कार्य दिवस के दौरान अथवा विभागीय वेबसाइट <http://cooperative.jharkhand.gov.in> से प्रपत्र एवं नियम शर्तें प्राप्त कर उक्त विषय से संबंधित आवेदन/प्रस्ताव एवं प्रपत्र दिनांक 16.10.2023 के अपराहन 4:00 बजे तक समर्पित कर सकते हैं।

अधिक जानकारी के लिए कार्यालय से कार्यावधि में सम्पर्क किया जा सकता है।

ह०/—

प्रबंध निदेशक

वेजफेड, राँची।

## झाई मसाला प्रसंस्करण इकाई के संचालन हेतु विहित प्रपत्र

प्रबंध निदेशक, वेजफेड के नाम से प्रस्ताव समर्पित किए जाएंगे। आवेदक द्वारा विस्तृत विवरणी, जो नियम व शर्तों से संबंधित है वर्णित विहित प्रपत्र I-II में समस्त आवश्यक सूचनाएँ अंकित कर तथा प्रपत्र- III (शपथ पत्र) को अनिवार्य रूप से नोटरी पब्लिक से सम्पन्न कराकर संलग्न करना होगा। प्रपत्र-IV में वित्तीय प्रस्ताव में मासिक संचालन राशि तथा आवेदित झाई मसाला प्रसंस्करण इकाई का स्थल व नाम का उल्लेख करना होगा, जो सील बंद लिफाफे में समर्पित करना होगा।

आवेदकों से अनुरोध है कि प्रपत्र-I-III में समस्त आवश्यक सूचनाएँ अंकित कर खुले रूप में समर्पित करना है, जबकि प्रपत्र-IV में सूचना पूर्ण रूप से भरते हुए अनिवार्य रूप से सील बंद लिफाफे में वेजफेड कार्यालय में समर्पित करेंगे।

ह0 / -

प्रबंध निदेशक,  
वेजफेड, राँची।

**प्रपत्र-I**

**ड्राई मसाला प्रसंस्करण इकाई हेतु आवेदन प्रपत्र (2022-23)**

|    |   |                               |  |  |  |  |
|----|---|-------------------------------|--|--|--|--|
| 1  | समिति का नाम एवं कार्यालय का पूर्ण पता  |                               |  |  |  |  |
| 2  | निबंधन संख्या एवं वर्ष  |                               |  |  |  |  |
| 3  | समिति का अध्यक्ष/सचिव का नाम  |                               |  |  |  |  |
| 4  | दूरभाष सं०  |                               |  |  |  |  |
| 5  | ईमेल आईडी० (यदि हो)   |                               |  |  |  |  |
| 6  | वेजफेड से सम्बद्धता संबंधी प्रमाण   |                               |  |  |  |  |
| 7  | समिति में सदस्यों की संख्या   |                               |  |  |  |  |
| 8  | प्रदत्त हिस्सा पूँजी  |                               |  |  |  |  |
| 9  | पैन नं० (यदि हो)  |                               |  |  |  |  |
| 10 | समिति का प्रस्ताव   |                               |  |  |  |  |
| 11 | अद्यतन निर्वाचन प्रमाण पत्र   |                               |  |  |  |  |
| 12 | अंकेक्षण प्रतिवेदन (संलग्न)   |                               |  |  |  |  |
| 13 | लाभ-हानि की स्थिति  |                               |  |  |  |  |
| 14 | कार्यशील पूँजी  |                               |  |  |  |  |
| 15 | शपथ पत्र (Notarized)  |                               |  |  |  |  |
| 16 | समिति द्वारा गत् 02 (दो) वर्षों में किए गए बैंक ट्रांजेक्शन का विवरण (बैंक पासबुक की छायाप्रति संलग्न करें) |                               |  |  |  |  |
| 17 | भूमि का विवरण (उपलब्धता)  |                               |  |  |  |  |
| 18 | भूमि हस्तांतरण का प्रकार (लीज, डीड, दान इत्यादि)  |                               |  |  |  |  |
| 19 | समिति के क्षेत्र में सर्वाधिक उत्पादन वाले मसाला उत्पाद का नाम एवं मात्रा                                   | मसाला उत्पाद का नाम           |  |  |  |  |
|    |   | उत्पादन की मात्रा (किंव० में) |  |  |  |  |
| 20 | मो० 500/- रूपए का डी०डी० संख्या/नकद जमा से संबंधित प्राप्ति रसीद  |                               |  |  |  |  |


समिति के अध्यक्ष/सचिव/प्राधिकृत व्यक्ति  
का हस्ताक्षर एवं मोहर

## प्रपत्र-II

### समिति का प्राधिकार-पत्र

मैं ..... (अध्यक्ष/सचिव का नाम) यह प्रमाणित करता हूँ कि मैं ..... (समिति का नाम), जो झारखण्ड सहकारी समिति अधिनियम, 1935/झारखण्ड स्वावलम्बी सहकारी समिति अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत निबंधित है, का प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता हूँ तथा इस इच्छा की अभिव्यक्ति संबंधी आवेदन समर्पित करने वाले व्यक्ति ..... (नाम) को अपनी समिति की ओर से विधिवत् प्राधिकृत करता हूँ।

प्राधिकृत व्यक्ति का नाम, पता एवं हस्ताक्षर :-



हस्ताक्षर अभिप्रमाणित

समिति के अध्यक्ष/सचिव का हस्ताक्षर एवं  
समिति का मोहर

### प्रपत्र-III

**(Notarized)**

### शपथ-पत्र

मैं, श्री/सुश्री/श्रीमती ..... पिता/पति श्री  
..... ग्राम ....., पो0....., थाना .....,  
जिला ....., स्वेच्छापूर्वक यह घोषणा करता/करती हूँ कि मुझे .....  
..... समिति की ओर से यह शपथ पत्र दायर करने हेतु विधिवत्  
अधिकृत किया गया है (समिति के कार्यकारिणी प्रस्ताव की छायाप्रति संलग्न)।

मैं शपथ पूर्वक यह घोषणा करता/करती हूँ कि यह .....  
समिति/संस्था या इसके किसी भी पदधारक को किसी सरकारी या अर्द्धसरकारी संस्था के द्वारा  
काली सूची में नहीं डाला गया है तथा इस समिति के विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई नहीं चल रही है  
अथवा अपराधिक मुकदमा में कोई दण्डादेश पारित नहीं किया गया है। हमारी समिति को पूर्व में  
वेजफेड की ओर से कोई प्रसंस्करण इकाई उपलब्ध नहीं कराया गया है। हमारी समिति के पास  
झाई मसाला प्रसंस्करण इकाई हेतु 05 डी0 भूमि उपलब्ध है एवं हमारी समिति योजना लागत की 10  
प्रतिशत राशि एवं संचालन हेतु पूँजी स्वरूप लगभग 6-8 लाख रूपए लगाने में सक्षम है। वेजफेड  
द्वारा झाई मसाला प्रसंस्करण इकाई के संचालन हेतु निर्धारित किए गए सभी नियमों एवं शर्तों का  
अक्षरशः अनुपालन करूँगा।

उपरोक्त सभी विवरणी मेरे सूचना एवं संज्ञान में सत्य है। यदि कोई तथ्य असत्य/मिथ्या  
विवरणी पायी जाती है तो इसके लिए मेरे विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

नाम व पदनाम :- .....

स्थान :- .....

आवेदक का हस्ताक्षर

**प्रपत्र-IV**

**वित्तीय प्रस्ताव (Financial Bid)**

|   |  |    |  |
|---|--|----|--|
| 1 | समिति का नाम व पूर्ण पता                       | :— |  |
| 2 | आवेदित ड्राई मसाला प्रसंस्करण इकाई का स्थल/नाम | :— |  |
| 3 | मासिक संचालन राशि                              | :— |  |

समिति के अध्यक्ष/सचिव/प्राधिकृत व्यक्ति  
का हस्ताक्षर एवं मोहर

## वेजफेड, राँची।

विभागीय योजना वर्ष 2022-23 के अन्तर्गत वेजफेड, राँची द्वारा ड्राई मसाला प्रसंस्करण इकाई हेतु वेजफेड से सम्बद्ध इच्छुक एवं योग्य सहकारी समितियों के चयन हेतु निम्नलिखित नियम एवं शर्तें निर्धारित की गई है :-

1. वेजफेड द्वारा दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित "इच्छा की अभिव्यक्ति" में भाग लेने हेतु वेजफेड से सम्बद्ध इच्छुक सहकारी समितियाँ, प्रबंध निदेशक, वेजफेड, राँची के नाम से मो0 500/- रूपए नगद/डी0डी0 जमा कर प्रपत्र एवं एवं नियम-शर्त वेजफेड कार्यालय से कार्य दिवस के दौरान अथवा विभागीय वेबसाईट <http://cooperative.jharkhand.gov.in> से प्राप्त किया जा सकता है।
2. ड्राई मसाला प्रसंस्करण इकाई से संबंधित प्रस्ताव दिनांक 16.10.2023 को अपराह्न 4:00 बजे तक वेजफेड कार्यालय में कार्यावधि में समर्पित किया जा सकता है। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् समर्पित प्रस्ताव स्वीकार्य नहीं होगा।
3. बकाएदार/डिफॉल्टर समितियों का चयन नहीं किया जाएगा।
4. जिन समितियों को पूर्व में वेजफेड से किसी भी प्रकार का प्रसंस्करण इकाई दिया गया है, वे ड्राई मसाला प्रसंस्करण इकाई हेतु प्रस्ताव नहीं दे सकेंगे। एक समिति से केवल एक ही प्रसंस्करण इकाई से संबंधित आवेदन प्रस्ताव स्वीकार किए जाएँगे।
5. निर्धारित योग्यता एवं मापदण्ड में अर्जित अंकों के आधार पर वेजफेड के व्यवसाय उप समिति-सह-निविदा समिति द्वारा संचालन हेतु समितियों का चयन किया जाएगा। योग्यता एवं मापदण्ड का निर्धारण मार्किंग स्केल के आधार पर किया जाएगा।
6. वेजफेड से सम्बद्ध सहकारी समितियाँ ही भाग ले सकते हैं।
7. इच्छुक सहकारी समितियों द्वारा विहित प्रपत्र (I, II, III) में सभी सूचनाओं के साथ प्रस्ताव समर्पित किया जाना अनिवार्य होगा।
8. समिति को कम-से-कम विगत दो वर्ष का बैंक ट्रांजेक्शन का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
9. आवेदक समिति के पास यदि PAN एवं जी0 एस0 टी0 निबंधन से संबंधित प्रमाण उपलब्ध हो तो, आवेदन प्रपत्र के साथ संलग्न किया जाएगा।
10. वेजफेड द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों के अधीन चयनित सहकारी समितियों के साथ अलग से एकरारनामा किया जाएगा।
11. योजना कार्यान्वित करने हेतु समिति को स्वयं मार्जिन मनी/कार्यशील पूँजी की व्यवस्था करनी होगी।
12. चूँकि ड्राई मसाला प्रसंस्करण इकाई योजना में कार्यशील पूँजी देने का प्रावधान नहीं है। इसलिए वैसी समितियों का चयन किया जाएगा, जो योजना लागत का 10 प्रतिशत राशि अर्थात् मो0 2,78,200.00 (दो लाख अठत्तर हजार दो सौ) रूपए एवं संचालन में लगभग 6-8 लाख रूपए का कच्चे माल क्रय करने हेतु पूँजी लगाने में सक्षम हो। इसकी पुष्टि समिति के अंकेक्षण प्रतिवेदन में अंकित टर्न ओवर के आधार

पर की जाएगी एवं समिति द्वारा उक्त राशि लगाने संबंधी Notarized शपथ पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।

13. एकरारनामा के समय योजना लागत की 10 प्रतिशत राशि (मो0 2,78,200.00 (दो लाख अठत्तर हजार दो सौ) रूपए) डी0डी0/चेक के माध्यम से वेजफेड कार्यालय में समर्पित किया जाना अनिवार्य होगा।
14. यदि समिति के द्वारा झूठा शपथ पत्र दिया जाता है और ड्राई मसाला प्रसंस्करण इकाई, कार्यशील पूँजी के अभाव में अच्छी तरह संचालित नहीं हो पाती है तो समिति के अध्यक्ष/सचिव के विरुद्ध सरकारी राशि के दुरुपयोग करने के आरोप में नियमानुसार विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।
15. समिति के नाम से न्यूनतम 05 (पाँच) डी0 भूमि उपलब्ध होना अथवा दान/लीज/निबंधित कराना अनिवार्य होगा।
16. ड्राई मसाला प्रसंस्करण इकाई के संचालन की बेस प्राईस मो0 1,500.00 (एक हजार पाँच सौ) रूपए प्रति माह होगा। निविदा समिति द्वारा लिए गए निर्णय के आलोक में सफल आवेदक (अधिकतम संचालन राशि) के साथ निर्धारित नियमों एवं शर्तों के आधार पर एकरारनामा किया जाएगा।
17. जिन समितियों को ड्राई मसाला प्रसंस्करण इकाई उपलब्ध कराया जाएगा, उन्हें एकरारनामा के समय एक वर्ष का संचालन राशि से संबंधित डी0डी0/चेक वेजफेड कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा। ससमय जमा नहीं किए जाने की स्थिति में 18 प्रतिशत सूद सहित राशि वसूलनीय होगी।
18. ड्राई मसाला प्रसंस्करण इकाई प्राप्त करने वाले समितियों द्वारा त्रैमासिक प्रतिवेदन वेजफेड में समर्पित किया जाना अनिवार्य होगा।
19. समिति के निर्माण कराए गए शेड में समिति के नाम के उपर "कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड सरकार योजनान्तर्गत वेजफेड, राँची के द्वारा वित्तपोषित" लिखना आवश्यक होगा और इसपर होने वाले व्यय का वहन समिति द्वारा किया जाएगा।
20. वेजफेड को समिति के सभी व्यवसायिक अभिलेख, सभा बही, रोकड़ बही इत्यादि का निरीक्षण का अधिकार सुरक्षित होगा।
21. समय-समय पर वेजफेड को यथा-आवश्यक नियम एवं शर्तें लागू करने का अधिकार सुरक्षित होगा।
22. बिना कारण बताए इच्छा की अभिव्यक्ति को रद्द करने का अधिकार प्रबंध निदेशक के पास सुरक्षित रहेगा।

ह0/—

प्रबंध निदेशक  
वेजफेड, राँची।